(3)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2022 रायपुर, दिनांक / /2022

//कार्यालय-सूचना//

प्राय: यह देखा जा रहा है कि सचिवालय में उपस्थिति पंजी के संधारण के संबंध में समय-समय पर प्रसारित सचिवालयीन निर्देशों का कई शाखाओं द्वारा उचित रीति से पालन नहीं किया जा रहा है । इस संबंध में समस्त शाखा प्रभारियों को निम्नानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु पुन: निर्देशित किया जाता है :-

(1) प्रत्येक शाखा के अनुभाग अधिकारी /शाखा प्रभारी अधिकारी उपस्थिति पंजी में प्रात: 10.10 बजे तक अनुपस्थित कर्मचारियों के क्रास (हस्ताक्षरयुक्त) लगाकर संबंधित शाखा के प्रभारी /प्रथम श्रेणी अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर उपरांत प्रात: 10.15 बजे तक संचालक (स्था.) को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा संचालक (स्था.) उपस्थिति पंजियों में प्राप्ति का समय अंकित कर प्रति हस्ताक्षर करेंगे।

(2) अनुभाग अधिकारियों /शाखा प्रभारी अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि क्रास अंकित किए हुए ऐसे कर्मचारी जो बिना पूर्व लिखित अनुमति के विलम्ब से उपस्थित होते हैं, का आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश का आवेदन प्राप्त करें, और इसकी सूचना अविलंब स्थापना शाखा को दें ।

(3) अनुभाग अधिकारियों /शाखा प्रभारी अधिकारियों का यह दायित्व भी होगा कि यदि कोई कर्मचारी एक दिन से अधिक, बिना किसी सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहते हैं, तो इसकी सूचना अविलंब स्थापना शाखा को दें और साथ ही कर्मचारी के उपस्थित होने पर यथा आवश्यक आवेदन प्राप्त कर औचित्यपूर्ण टीप के साथ स्थापना शाखा को प्रेषित करें ताकि प्रकरणों पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

(4) प्रत्येक माह के अंतिम दिवस उपरोक्त निर्देशों के पालन संबंधी टीप संचालक (स्थापना) सचिव महोदय को प्रस्तुत करेंगे ।

आदेश से,

(हस्ताक्षर)

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 9511 /वि.स./स्था./2022 रायपुर, दिनांक 14/ 9/2022

प्रतिलिपि :-

01. सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
02. समस्त अधिकारी/कर्मचारी छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. सर्वर कक्ष ।

(हस्ताक्षर)

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा